न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 23/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
शेराराम पुत्र अमरराराम जाति सुथार, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. जानाराम पुत्र दलाराम 2. लक्ष्मणराम पुत्र दलाराम 3. सोनाराम पुत्र दलाराम जाति कुम्हार, निवासी ईश्वरपुरा–भादरेश हाल निवासी तरूण स्कूल के पीछे कुमावत नगर, इन्दिरा कॉलोनी, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.05.2025

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल गूंगा के ग्राम कुमावतों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 170 रकबा 11.4688 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	शेराराम पुत्र अमरराराम जाति सुथार सा. गूंगा	कुमावतों की ढाणी	170	5.7344	बा.दो.	–	लाल
2	जानाराम पुत्र दलाराम 1/3, लक्ष्मणराम पुत्र दलाराम 1/3, सोनाराम पुत्र दलाराम 1/3 कौम कुम्हार सा. ईश्वरपुरा खातेदार	कुमावतों की ढाणी	170	5.7344	बा.दो.	–	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:53:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner